वार्षिक की रिपोर्ट वित्त वर्ष 2020-21

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एन एच एस आर सी)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य
मिशन के अंतर्गत टेक्निकल सपोर्ट
इंस्टीटूशन (तकनीकी सहयोग संस्थान)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार

कार्यालय: एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर , बाबा गंगनाथ मार्ग , मुनिरका,
नई दिल्ली - 110067
दूरभाष: 011 - 26108983 / 84 / 92 / 93, फैक्स: 011 - 26108994
ई-मेल: NHSRC.INDIA@GMAIL.COM; वेबसाइट:WWW.NHSRCINDIA.ORG

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवामें,
शासी निकाय के सदस्य,
नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका,
नई दिल्ली– 110067

वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी, नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित 31 मार्च, 2021 तक का तुलनपत्र (बैलेन्स शीट), और आय और व्यय का खाता, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं (जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए केंद्र की गुवाहाटी स्थित शाखा के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित रिटर्न शामिल हैं)।

हमारी राय में, और हमारे पास उपलब्ध जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 को केंद्र के कार्यकलापों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय से अधिक व्यय के संबंध में कानून द्वारा यथापेक्षित और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित जानकारी प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

हमने लेखा–परीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार ही अपनी लेखा–परीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को इस रिपोर्ट में 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व' खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम वित्तीय विवरणों के बारे में अपनी लेखा परीक्षा के लिए अपेक्षित आचार नीति के साथ–साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप इस केंद्र से स्वतंत्र (संबंधित नहीं) हैं, और इन अपेक्षाओं के अनुरूप हमने अपनी अन्य नैतिक दायित्वों का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करेगी।

महत्वपूर्ण सूचना

क. यह सोसायटी भारत सरकार द्वारा जारी जीएफआर नियम, 2017 के अनुसार लेखांकन की नकद प्रणाली का निरंतर पालन कर रही है और तदनुसार उसने भुगतान के आधार पर अपने सभी खर्चों को भी बुक किया था। हालांकि, सोसायटी ने वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 50,94,00,000/– की एकमुश्त सहायता अनुदान राशि को अपनी आय के रूप में नहीं माना है, इसके बजाय, इसकी लेखा नीति के विपरीत, वर्ष के दौरान वास्तव में खर्च की गई राशि की राशि 38,96,25,492/– रुपये को आय और व्यय खाते में आय के रूप में मान्यता दी गई है और शेष राशि को तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में 'अनुदान और उपभोग के लिए शेष' शीर्ष के तहत देयता के रूप में दिखाया गया है।

सहायक अनुदान का उपरोक्त लेखांकन पद्धति सोसायटी की लेखांकन की नकदी प्रणाली के साथ–साथ आरआरसी–एनई में शाखा लेखांकन, लेखा नीति के अनुरूप नहीं है।

ख. प्राप्त सहायता अनुदान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्लेटफार्म परियोजना के लिए बिना किसी विशेष शर्त के धनराशि शामिल है, जिसमें से कुल राशि 26,55,145 रुपये वास्तव में वर्ष के दौरान खर्च की गई थी और जिसे आय और व्यय खाते के माध्यम से नहीं भेजा गया था, अपितु बैलेंस शीट में देनदारियों के तहत वर्गीकृत 'अनुदान और उपभोग के लिए शेष' से सीधे घटा दिया गया है और तदनुसार आय और व्यय खाते में दिखाए गए सहायता अनुदान की सकल आय के साथ–साथ वर्ष के लिए कुल व्यय, उपरोक्त नोट (क) के पूर्वाग्रह के बिना, उसी सीमा तक कम कर दिया गया है।

ग. बैलेंस शीट में देनदारी के रूप में दर्शाई गई अनुदान की राशि 27,17,69,697 रुपये की राशि की पहचान किसी निर्दिष्ट परियोजना (परियोजनाओं) के लिए नहीं की गई है या धारा 11(5) के तहत निर्दिष्ट निवेशों में रखी गई है। आयकर अधिनियम, 1961 और इस प्रकार सोसायटी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के तहत आय से छूट की शर्तों का पालन नहीं किया।

घ. उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(1) के अनुसार 85 प्रतिशत का न्यूनतम निर्धारित व्यय नहीं किया गया था और इस प्रकार अधिनियम के कारण संभावित कर मांग के कारण सोसायटी को पर्याप्त जोखिम है और इस प्रकार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत एक धर्मार्थ ट्रस्ट होने के नाते, सोसायटी वर्ष के लिए करों के भुगतान से अपनी छूट खो सकती है। चूंकि यह प्रथा पिछले कई वर्षों से अपनाई गई है, पिछले वर्षों के लिए सटीक कर प्रभाव आसानी से पता लगाने योग्य नहीं है। .

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

फ्लैट नं. 4, 11/71, पंजाबी बाग (वेस्ट), नई दिल्ली– 110026 (भारत) दूरभाषः +91–11–25220667, 25225198
फैक्सः +91–11–25223111 ई–मेलः mail@tasauditors.com वेबसाइटः www.tasauditors.com

वित्तीय विवरणों के मामले में प्रबंधन एवं शासन प्रभारियों का दायित्व

प्रबंधन का दायित्व है कि वह इन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करवाए, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार इकाई की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन के बारे में सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में इकाई की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कानून के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकॉर्ड का रखरखाव; उचित लेखाकरण नीतियों का चयन और उपयोग; तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान तैयार करना; तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल है, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित किए जा रहे हों, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए सुसंगत हों तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण सूचना की गलत प्रस्तुति से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन का दायित्व है कि वह कंपनी की समस्या के साथ जारी रहने की क्षमता का आकलन करे, समस्या से संबंधित मामले का प्रकटीकरण करे, जो लागू हो, और जारी समस्या के आधार पर लेखाकरण करे जब तक कि प्रबंधन की इच्छा इकाई को समाप्त करने या बंद करने की नहीं है, या ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना भी प्रबंधन का दायित्व है।

वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में सूचना की गलत प्रस्तुति से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा–परीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की गई लेखा–परीक्षा में किसी सूचना की गलत प्रस्तुति के मौजूद होने का हमेशा पता चल जाएगा। गलत प्रस्तुति धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकती है और विचराधीन सूचना, अलग रूप से या समग्र रूप में है, तो इस बात की काफी संभावना है कि वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।

लेखा–परीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार लेखा–परीक्षा के एक अंग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा–परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी निष्पादित करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण सूचना की गलत प्रस्तुति के जोखिमों का पता लगाना, और उनका मूल्यांकन करना, उन जोखिमों का पता लगाने वाली उपयुक्त उत्तरदायी प्रक्रियाएं बनाना और उन्हें निष्पादित करना, और अपनी राय को आधार प्रदान करने वाले पर्याप्त और उचित लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त–

करना। धोखाधड़ी के कारण सूचना की गलत प्रस्तुति का जोखिम, त्रुटि के कारण होने वाली प्रस्तुति से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझ कर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।

- लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं बनाने के लिए लेखा–परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना, जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, किंतु कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता पर कोई राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।

- उपयोग की जाने वाली लेखाकरण नीतियों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों के औचित्य का मूल्यांकन करना।

- समस्या के आधार पर जारी प्रबंधन के लेखाकरण उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, इस बात का पता लगाना कि क्या ऐसी कोई घटना या परिस्थितियों से संबंधित कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है जो इकाई की समस्या के साथ जारी रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होता है या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालाँकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों से इकाई जारी समस्या से मुक्त हो सकती है, और

- प्रकटीकरणों सहित, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, रूपरेखा और सामग्री का मूल्यांकन करना, और इस बात का आंकलन करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को उचित तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

हम शासन के लिए पदासीन व्यक्तियों के साथ अन्य विषयों सहित लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध दायरा और समय और अपनी लेखा–परीक्षा के दौरान पता चली आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा निष्कर्षों की जानकारी प्रदान करते हैं।

अन्य मामला

हमने इस केंद्र के वित्तीय विवरणों में शामिल एक शाखा के वित्तीय विवरणों/जानकारी की लेखा–परीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2021 तक की कुल संपत्ति 1,19,25,089.37 रुपये और कुल राजस्व 2,31,03,216.00 रु. तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यय 2,47,66,341.41 रु. है, जो शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा के वित्तीय विवरणों/जानकारी में माना गया, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है, और शाखा के संबंध में शामिल की गई राशि और प्रकटीकरण के संबंध में हमारी राय पूर्णतः इन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमने अपनी राय को संशोधित नहीं किया है।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम आगे यह अभिव्यक्त करते हैं कि

1) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा–परीक्षा के लिए आवश्यक थे;

2) हमने गुवाहाटी स्थित शाखा की विवरणियां और लेखा–परीक्षित विवरण प्राप्त किए;

3) जैसा कि बहियों के परीक्षण से पता चलता है, हमारा अभिमत है कि इकाई ने अब तक कानून द्वारा अपेक्षित उचित तरीके से बहियों को लेखाबद्ध किया है;

4) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलन पत्र, आय–व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान बहियों के अनुरूप हैं।

कृते टीएएस एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 010520एन

मुकेश अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता नं. 090582
स्थान : नईदिल्ली
दिनांकः 28/08/2021
यूडीआईएनः 21090582एएएएएयू8204

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली– 110067

31 मार्च, 2021 तक का तुलन पत्र

राशि रूपए में

विवरण	अनुसूची	राशि	चालू वर्ष 31/03/2021 की स्थिति	राशि	गत वर्ष 31/03/2020 की स्थिति
अनुदान एवं उपभोग के लिए शेष					
एनएचएसआरसी, नई दिल्ली	1				
अथः शेष		15,19,95,189		8,11,31,470	
जोड़ेंः वर्ष के दौरान प्राप्त निधि		50,94,00,000		45,95,00,000	
घटाएंः वर्ष के दौरान खर्च/पुनःभुगतान		38,96,25,492	27,17,69,697	38,86,36,281	15,19,95,189
क्षेत्रीय संसाधन केंद्र –शाखा कार्यालय					
अथः शेष		19,90,000		–	
जोड़ेंः वर्ष के दौरान प्राप्त निधि		–		19,90,000	
घटाएंः वर्ष के दौरान खर्च/पुनःभुगतान		–	19,90,000	–	19,90,000
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान					
जमा प्रतिभूति/निष्पादन प्रतिभूति		3,80,168		18,81,914	
देय टीडीएस		27,79,738		18,54,385	
जीएसटी के तहत देय टीडीएस		2,39,968		25,354	
अन्य देयताएं		–	33,99,874	30,255	37,91,908
योग			27,71,59,571		15,77,77,097
परिसंपत्तियां					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण					
एनएचएसआरसी	2	1,55,86,338		1,62,37,246	
आरआरसी–एनई (शाखा कार्यालय)		40,50,221		18,87,819	
एनएचएसआरसी (बिहार)		42,584	1,96,79,142	48,050	1,81,73,115
वर्तमान परिसंपत्तियां	3				
प्रतिभूति जमा		27,90,700		27,90,700	
ऋण एवं अग्रिम		4,20,986		7,35,499	
नकदी और बैंक में जमा राशि		25,42,68,742	25,74,80,428	13,60,77,783	13,96,03,982
योग			27,71,59,571		15,77,77,097
लेखाओं पर टिप्पणियां	10				
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	11				

इस तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते टीएएस असोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 010520एन

कृते नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
(शासी निकाय की ओर से)

प्रधान प्रशासनिक अधिकारी

कार्यकारी निदेशक

मुकेश अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता नं. 090582

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28/08/2021
यूडीआईएनः 21090582एएएएयू8204

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली– 110067

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष का आय–व्यय खाता

राशि रूपए में

विवरण	अनुसूची		चालू वर्ष 31/03/2021 की स्थिति		गत वर्ष 31/03/2020 की स्थिति
आय					
सहायक अनुदान	4		38,69,70,347		38,49,43,291
अर्जित ब्याज					
एनएचएसआरसी, दिल्ली		63,55,922		35,49,093	
क्षेत्रीय संसाधन केंद्र –शाखा कार्यालय		2,91,026	66,46,948	2,48,975	37,98,088
जब्त की गई जमानत राशि/निविदा की बिक्री			12,700		12,600
आरटीआई आवेदनों से प्राप्तियां			–		70
अन्य आय	5		35,996		1,00,970
योग क			39,36,65,991		38,88,54,999
व्यय					
व्यावसायिक फीस	6		4,06,69,966		3,61,95,950
अन्य प्रशासनिक खर्चे	7		5,72,43,859		4,80,39,608
कार्यक्रम संबंधी खर्चे	8		29,28,86,275		30,18,74,771
डब्ल्यूडीवी पर बेकार भौतिक परिसंपत्तियां			60,229		1,20,637
मूल्यह्रास एवं बट्टे खाते	9		28,05,661		26,24,033
योग ख			39,36,65,991		38,88,54,999
व्यय के उपरांत शेष आय (क–ख)			–		–

इस तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते टीएएस एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 010520एन

कृते नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
(शासी निकाय की ओर से)

प्रधान प्रशासनिक अधिकारी

कार्यकारी निदेशक

मुकेश अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता नं. 090582

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28/08/2021
यूडीआईएनः 21090582एएएएयू8204

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली– 110067

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

राशि रूपए में

प्राप्तियां	2020–21		2019–20		भुगतान	2020–21		2019–20	
अथः शेष					क्रय की गई अचल परिसंपत्तियां				
बैंक					एनएचएसआरसी कार्यालय	17,44,713		37,04,659	
भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (बचत खाता)	9,21,35,994		3,84,84,721		आरआरसी– एनई कार्यालय	27,00,125	44,44,838	72,366	37,77,025
भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (चालू खाता)	1,47,33,359		53,83,035						
भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (आईएनबीखाता)	1,28,13,848		43,55,725		व्यावसायिक फीस और वेतन				
भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (चालू खाता–आरकेएसके परियोजना)	48,58,058		82,70,550		एनएचएसआरसी कार्यालय	2,35,38,561		2,13,68,997	
					आरआरसी एनई कार्यालय	1,71,31,405	4,06,69,966	1,48,26,953	3,61,95,950
भारतीय स्टेट बैंक, जीएमसी शाखा	1,15,21,598	13,60,62,857	39,83,269	6,04,77,299					
					प्रशासनिक खर्चे				
नकदी					लेखा परीक्षा फीस	2,18,300		2,18,300	
एनएचएसआरसी कार्यालय	–				बैंक प्रभार	4,960		9,226	
आरआरसी एनई शाखा	14,926	14,926	10,542	10,542	कंप्यूटर उपभोज्य वस्तुएं	2,16,092		2,74,069	
					किराया और माल भाड़ा	–		10,104	
प्राप्त निधियां					जनरेटर किराया, ईंधन प्रभार, बिजली और पानी	1,04,29,245		32,32,694	
सहायक अनुदान (एनएचएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)	50,94,,00,000		45,20,00,000		बीमा	1,49,247		1,69,269	
					टीडीएस पर ब्याज	–		112	
एनएचएम यूपी (भर्ती)	–		1,13,035		पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	8,942		83,570	
क्षेत्रीय सहयोगी केंद्र, डिब्रूगढ़	–		19,90,000		स्थानीय परिवहन	12,60,499		7,43,795	
एनएचएम–स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण मंच के लिए कार्यान्वयन अनुसंधान (पूर्व में एनकेपी)	–	50,94,,00,000	75,00,000	46,16,03,035	बैठकें/कार्यशालाएं/सम्मेलन	6,79,558		17,61,349	
					व्यावसायिक एवं अन्य प्रशासनिक खर्चे	40,75,540		30,98,085	
अर्जित ब्याज					भर्ती एवं विज्ञापन पर खर्च	13,27,066		19,62,854	
एनएचएसआरसी कार्यालय	63,55,922		35,49,093		किराया खर्च	2,36,83,188		2,18,19,354	
आरआरसी– एनई शाखा	2,91,026	66,46,948	2,48,975	37,98,068	भवन एवं अन्य ढांचागत सुविधाओं का रखरखाव	15,63,703		24,65,224	
					सुरक्षा सेवाएं	22,99,078		24,29,140	

विविध प्राप्तियां				
जब्त जमानत राशि / टेंडर की बिक्री	12,700		12,600	
अन्य आय	35,996		1,00,970	
प्राप्त निष्पादन प्रतिभूति	2,30,028		10,34,829	
आरटीआई आवेदन से प्राप्ति	–		70	
नियत परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	72,920	3,51,644		11,48,469
अन्य				
ब्रांडेड स्टेशनरी	–		24,693	
टीडीएस प्राप्तियां	–		1,22,739	1,47,432

स्टेशनरी / प्रिंटिंग / जीरॉक्स पर खर्च	11,58,635		16,88,275	
अध्ययन एवं मूल्यांकन (प्रशासन)	5,000		5,13,280	
टेलीफोन / फैक्स / डाक खर्च / इंटरनेट	22,90,761		24,98,719	
कार्यालय स्थान के विस्तार संबंधी व्यय	1,03,681		19,37,765	
मुख्यालय से बाहर यात्रा	22,14,260		21,02,505	
आउटसोर्सिंग प्रशासन	32,75,652		6,41,651	
वाहन का रखरखाव और पीओएल	1,30,497	5,50,93,803	1,02,616	4,77,61,956
कार्यक्रम संबंधी खर्चे				
सामुदायिक प्रक्रियाएं	3,29,53,895		3,82,82,506	
जन स्वास्थ्य नियोजन	7,29,325		98,57,944	
जन स्वास्थ्य प्रशासन	1,81,87,864		1,71,56,244	
स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का वित्तपोषण	65,90,430		26,55,117	
स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी	65,16,506		51,33,182	
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानव संसाधन	1,00,56,350		1,22,35,802	
गुणवत्ता सुधार	3,16,84,101		3,59,96,754	
पूर्वोत्तर राज्यों को सहयोग	1,56,77,360		–	
एनपीएमयू	16,92,02,767	29,15,98,598	15,93,27,499	28,06,45,049
निधियों से संबंधित अन्य खर्चे				
एनएचएम– स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण मंच के लिए कार्यान्वयन अनुसंधान (पूर्व एनकेपी)	26,55,145		37,99,710	
एनएचआरएम, झारखंड (क्यू.आई.)	–	26,55,145	6,315	38,06,025
अन्य				
राज्यों एवं अन्य एजेंसियों को कार्यक्रम अग्रिम	9,09,968		67,23,448	
पीएचएससी द्वारा जमा किया गया अतिरिक्त टीडीएस	–		11,250	
बयाना धनराशि	–		2,00,000	
वापस की गई निष्पादन प्रतिभूति	17,31,774		1,82,508	
स्टाफ को अग्रिम	10,10,993		1,16,40,007	
ऋण एवं अग्रिम आरआरसी	92,547	37,45,282	1,63,845	1,89,21,058

				इति शेष				
				बैंक				
				भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (बचत खाता)	22,93,91,916		9,21,35,994	
				भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (चालू खाता)	26,37,248		1,47,33,359	
				भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (चालू खाता–आरकेएसके परियोजना)	1,02,79,759		1,28,13,848	
				भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (आईएनबी खाता)	41,77,496		48,58,058	
				भारतीय स्टेट बैंक, जीएमसी शाखा (शाखा कार्यालय)	77,71,147	25,42,57,565	1,15,21,598	13,60,62,857
				नकदी				
				एनएचएसआरसी कार्यालय	–		–	
				आरआरसी एनई शाखा	11,177	11,177	14,926	14,926
योग	65,24,76,375		52,71,84,845	योग		65,24,76,375		52,71,84,845

इस तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते टीएएस एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 010520एन

कृते नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
(शासी निकाय की ओर से)

प्रधान प्रशासनिक अधिकारी

कार्यकारी निदेशक

मुकेश अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता नं. 090582

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28 / 08 / 2021
यूडीआईएनः 21090582एएएएयू8204

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली– 110067

31 मार्च, 2021 तक के तुलन पत्र (निधियां एवं देयताएं) का एक भाग–अनुसूचियां

राशि रूपए में

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021 को		31/03/2020 को	
1	अनुसूची 1–अनुदान और उपयोग के लिए शेष				
क.	एनएचएसआरसी, नई दिल्ली				
	वर्ष के आरंभ में अथशेष (क)				
	सहायक अनुदान (एनएचएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)	13,99,74,282		7,29,17,573	
	एनएचएम– स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण मंच के लिए कार्यान्वयन अनुसंधान (पूर्व एनकेपी)*#	1,11,40,290		74,40,000	
	डीएचआर–एचटी एन से प्राप्त अनुदान#	880,617		880,617.00	
	एनएचएम, यूपी (भर्ती)#	–		(113,035)	
	रा.ग्रा.स्वा. मि. झारखंड (क्यू. आई.)#	–	15,19,95,189	6,315	8,11,31,470
	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां (ख)				
	सहायक अनुदान (एनएचएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)	50,94,00,000		45,20,00,000	
	एनएचएम– स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण मंच के लिए कार्यान्वयन अनुसंधान (पूर्व एनकेपी)*	–		75,00,000	
	डीएचआर–एचटी एन से प्राप्त अनुदान	–		–	
	एनएचएम, यूपी (भर्ती)	–		–	
	रा.ग्रा.स्वा. मि. झारखंड (क्यू. आई.)	–	50,94,00,000	–	45,95,00,000
	घटाएं: वर्ष के दौरान व्यय (ग)				
	सहायक अनुदान (एनएचएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)	38,69,70,347		38,49,43,291	
	एनएचएम– स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण मंच के लिए कार्यान्वयन अनुसंधान (पूर्व एनकेपी)*	26,55,145		37,99,710	
	डीएचआर–एचटी एन से प्राप्त अनुदान	–		–	
	एनएचएम, यूपी (भर्ती)	–		(1,13,035)	
	रा.ग्रा.स्वा. मि. झारखंड (क्यू. आई.)	–	38,96,25,492	6,315	38,86,36,281
	वर्ष के अंत में शेष (क+ख–ग)				
	सहायक अनुदान (एनएचएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)	26,24,03,935		13,99,74,282	
	एनएचएम– स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण मंच के लिए कार्यान्वयन अनुसंधान (पूर्व एनकेपी)*#	84,85,145		1,11,40,290	
	डीएचआर–एचटी एन से प्राप्त अनुदान#	8,80,617		8,80,617	
	एनएचएम, यूपी (भर्ती)#	–		–	
	रा.ग्रा.स्वा. मि. झारखंड (क्यू. आई.)#	–		–	
			27,17,69,697		15,19,95,189

	* पूर्व में नेशनल नॉलेज प्लेटफार्म परियोजना थी। # वर्ष के आंरभ और अंत में अन्य पक्षकारों से अनुदानों के उपभोग को दर्शाता है।				
ख.	आरआरसी–एनई, गुवाहाटी (शाखा का.)				
	एनएचएम, नईदिल्ली से निधिः–उपभोग के लिए शेष				
	वर्ष के आरंभ में अथशेष (क)	19,90,000		–	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां (ख)	–		19,90,000	
	घटाएं: वर्ष के दौरान व्यय (ग)	–		–	
	वर्ष के अंत में शेष (क+ख–ग)		19,90,000		19,90,000

डीएचआर एचटी एआईएन : स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग– हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेन्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग टेकनीक्स इन इंडिया

आरआरसी–एनई : रिजनल रिसोर्स सेन्टर फॉर नार्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स

एनएचएसआरसी : नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

एमओएचएफडब्ल्यू : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनएचएम : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

जीओआई : भारत सरकार

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली– 110067

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र की अनुसूचियां

धनराशि रुपए में

क्र.सं.	विवरण	01.04.2020 को डब्लयूडीवी	2020–21 के दौरान संवर्धन		वर्ष के दौरान बिक्री / कटौतियां	योग	मूल्यह्रास की दर (%)	2020–21 के दौरान मूल्यह्रास	31.03.2021 को डब्लयूडीवी
			180 दिन से अधिक	180 दिन से कम					
2	अनुसूची 2–नियत परिसंपत्तियां								
	क. एनएचएसआरसी कार्यालय								
	विद्युत उपकरण	28,32,426	14,274	1,19,998		29,66,698	10%	2,90,671	26,76,028
	कार्यालयी उपकरण	10,09,234	46,250	1,33,409		11,88,893	15%	1,68,330	10,20,563
	स्टील रैक	59,725	–	–	–	59,725	10%	5,973	53,753
	स्टील सेफ	2,583	–	–	–	2,583	10%	258	2,325
	लकड़ी का पार्टिशन	1,71,386	–	–	–	1,71,386	10%	17,139	1,54,247
	विद्युत फिटिंग और फिक्सचर	7,76,798	–	–		7,76,798	10%	77,680	6,99,118
	ईपीएबीएक्स	2,65,213	–	–		2,65,213	10%	26,521	2,38,692
	अग्नि चेतावनी प्रणाली	44,195	–	–	–	44,195	10%	4,420	39,776
	फर्नीचर और फिक्सचर	63,47,991	1,46,252	78,793		65,73,036	10%	6,54,755	59,18,281
	अलमारी	9,722	–	–	–	9,722	10%	972	8,750
	वातानुकूलन संयंत्र (एसी प्लांट)	1,06,681	–	–	–	1,06,681	15%	16,002	90,679
	एसी प्लान्ट फिटिंग	87,334	–	–	–	87,334	15%	13,100	74,234
	वातानुकूलन यंत्र (एसी)	1,68,665	–	41,997	–	2,10,662	15%	28,450	1,82,212
	आडियो विजुअल	12,64,847	3,95,880	1,43,960	–	18,04,687	15%	2,59,906	15,44,781
	कैमरा और बैटरी चार्जर	1,961	–	–	–	1,961	15%	294	1,667
	जनरेटर सेट	9,40,813	–	–		9,40,813	15%	1,41,122	7,99,691
	इनवर्टर	6,082	–	–		6,082	15%	912	5,170
	एलसीडी प्रोजेक्टर	3,02,996	–	–		3,02,996	15%	45,449	2,57,547
	फोन सेट	62,574	–	–		62,574	15%	9,386	53,188
	सीसी टीवी	1,34,907	–	–	–	1,34,907	15%	20,236	1,14,671
	कार (मारुति अर्टिगा)	4,28,573	–	–	–	4,28,573	15%	64,286	3,64,287
	प्रिंटर	97,425	–	1,79,559	–	2,76,984	40%	59,465	2,17,519
	सर्वर	45,919	–	–	–	45,919	40%	5,642	40,277
	कंप्यूटर	10,69,196	53,690	3,90,651		15,13,537	40%	4,84,653	10,28,884
	योग (क)	1,62,37,246	6,56,346	10,88,367	–	1,79,81,959		23,95,621	1,55,86,338

क्र.सं.	विवरण	01.04.2020 को डब्लयूडीवी	2020–21 के दौरान संवर्धन		वर्ष के दौरान बिक्री / कटौतियां	योग	मूल्यह्रास की दर (%)	2020–21 के दौरान मूल्यह्रास	31.03.2021 को डब्लयूडीवी
			180 दिन से अधिक	180 दिन से कम					
	ख. आरआरसी–एनई शाखा कार्यालय								
	कंप्यूटर	51,744	19,875	2,30,915	1,712	3,00,822	40%	64,105	2,36,717
	फर्नीचर और फिक्सचर	8,99,302	–	–	44,198	8,55,104	10%	85,510	7,69,594
	आंतरिक साज–सज्जा	1,66,475	–	14,87,795	72,920	15,81,350	10%	83,745	14,97,605
	जीरॉक्स मशीन	17,990	–	–	–	17,990	15%	2,698	15,292
	सॉफ्टवेयर	40,443	–	–	8	40,435	40%	13,688	26,747
	विद्युत फिटिंग	26,734	–	4,97,240	–	5,23,974	10%	27,535	4,96,439
	ईपीएबीएक्स	30,488	–	–	–	30,488	15%	4,573	25,915
	फर्निशिंग	51,796	–	45,000	–	96,796	10%	7,430	89,366
	कैमरा	17,969	–	–	–	17,969	15%	2,695	15,274
	टेलीफोन और फैक्स मशीन	4,035	–	2,200	–	6,235	15%	770	5,465
	टीवी और उपकरण	2,296	–	–	–	2,296	15%	344	1,952
	फ्रिज	973	–	–	–	973	15%	146	827
	अन्य कार्यालयी उपकरण	1,09,057	9,600	24,640	5,572	1,37,725	15%	13,654	1,24,071
	एलसीडी प्रोजेक्टर	1,10,754	–	–	8,739	1,02,014	15%	15,302	86,712
	बायो–मीट्रिक मशीन	4,346	–	–	–	4,346	15%	652	3,694
	अग्निशमन यंत्र	1,08,867	–	–	–	1,08,867	15%	16,330	92,537
	वातानुकूलन यंत्र	1,13,556	–	3,82,860	–	4,96,416	15%	45,748	4,50,668
	वजन तौलने की मशीन	1,233	–	–	–	1,233	15%	185	1,048
	सीसी टीवी कैमरा	22,043	–	–	–	22,043	15%	3,306	18,737
	साउन्ड एम्प्लीफायर सिस्टम	73,712	–	–	–	73,712	15%	11,057	62,655
	एअर कूलर	12,644	–	–	–	12,644	15%	1,897	10,747
	वैक्यूम क्लीनर	3,916	–	–	–	3,916	15%	587	3,329
	डिजिटल वायस रिकार्डर	17,449	–	–	–	17,449	15%	2,617	14,832
	योग (ख)	18,87,819	29,475	26,70,650	1,33,149	44,54,795		4,04,574	40,50,221
	ग. एनएचएसआरसी शिविर कार्यालय –बिहार								
	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	1,883	–	–	–	1,883	10%	188	1,695
	फर्नीचर और फिक्सचर	25,267	–	–	–	25,267	10%	2,527	22,740
	कूलर	2,061	–	–	–	2,061	15%	309	1,752
	एलसीडी प्रोजेक्टर	16,051	–	–	–	16,051	15%	2,408	13,643

	फोनसेट	229	–	–	–	229	15%	34	195
	कंप्यूटर	2,330	–	–	–	2,330	40%	–	2,330
	प्रिंटर	229	–	–	–	229	40%	–	229
	योग (ग)	48,050	–	–	–	48,050		5,466	42,584
	महा योग (क+ख+ग)	1,81,73,115	6,85,821	37,59,017	1,33,149	2,24,84,804		28,05,661	1,96,79,142
	गत वर्ष	1,71,40,759	25,52,223	12,24,802	1,20,637	2,07,97,148		26,24,033	1,81,73,115

नोटः

1. *बिहार शिविर कार्यालय की 42,584/– रु. (31.03.2021 को रिटेन डाउन वैल्यू) की नियत परिसंपत्तियां परामर्शदाता की अभिरक्षा में हैं, जिन्हें अभी हस्तांतरित/समायोजित किया जाना है। इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उपलब्ध कराया जा रहा है।*

2. *नियत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 में विनिर्दिष्ठ दरों के अनुसार की गई है, तथापि उप परिसंपत्तियों पर जिनकी मूल्यह्रास के उपरांत मूल्य उनकी मूल कीमत के 10% से कम है, उनके मूल्यह्रास की गणना नहीं की गई है।*

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली– 110067

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र की अनुसूचियां

राशि रूपए में

क्र. सं.	विवरण	एनएचएसआरसी	आरआरसी–एनई	एनएचएसआरसी बिहार	चालू वर्ष 31/03/2021 की स्थिति	गत वर्ष 31/03/2020 की स्थिति
3	अनुसूची 3–वर्तमान परिसंपत्तियां					
	क. प्रतिभूति जमा					
	किराए के लिए प्रतिभूति जमा (एनआईएचएफडब्ल्यू)	22,64,700	–	–	22,64,700	22,64,700
	किराए के लिए प्रतिभूति जमा (विजय विनोद भाटिया)	64,000	–	–	64,000	64,000
	प्रतिभूति जमा (बीएसईएस राजधानी)	4,62,000	–	–	4,62,000	4,62,000
	योग (क)	27,90,700	–	–	27,90,700	27,90,700
	ख. ऋण एवं अग्रिम					
	स्टाफ को अग्रिम	55,859			55,859	85,210
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्शदाताओं को अग्रिम	–	–	–	–	48,000
	परियोजना के लिए अग्रिम	2,51,939	–	–	2,51,939	4,15,681
	ऋण एवं अग्रिम (आरआरसी–एनई)	–	92,547	–	92,547	1,63,845
	टीडीएस प्राप्तियां	20,641	–	–	20,641	20,641
	अन्य प्राप्तियां	–	–	–	–	2,122
	योग (ख)	3,28,439	92,547	–	4,20,986	7,35,499
	ग. नकदी एवं बैंक में जमा					
	एनएचएसआरसी कार्यालय					
	भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (बचत खाता)	22,93,91,916	–	–	22,93,91,916	9,21,35,994
	भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (चालू खाता)	26,37,248	–	–	26,37,248	1,47,33,359
	भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (चालू खाता– आरकेएसके परियोजना)	1,02,79,759	–	–	1,02,79,759	1,28,13,848
	भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (आईएनबी खाता)	41,77,496	–	–	41,77,496	48,58,058
	आरआरसी एनई शाखा कार्यालय					
	नकदी	–	11,177	–	11,177	14,926
	भारतीय स्टेट बैंक, जीएमसी शाखा	–	77,71,147	–	77,71,147	1,15,21,598
	योग (ग)	24,64,86,418	77,82,324	–	25,42,68,742	13,60,77,783
	योग (क+ख+ग)	24,96,05,557	78,74,871	–	25,74,80,428	13,96,03,982

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली– 110067

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आय–व्यय खाता –अनुसूचियां

राशि रूपए में

क्र. सं.	विवरण	एनएचएसआरसी	आरआरसी–एनई	एनएचएसआरसी बिहार	चालू वर्ष 31/03/2021 की स्थिति	गत वर्ष 31/03/2020 की स्थिति
4	अनुसूची 4–अनुदान/सब्सिडी					
	भारत सरकार से प्राप्त निधि (निवल– उपभोग)	38,69,70,347	2,28,00,000	–	40,97,70,347	38,49,43,291
	योग	38,69,70,347	2,28,00,000	–	40,97,70,347	38,49,43,291
5	अनुसूची 5–अन्य आय					
	कबाड़ की बिक्री से प्राप्त आय	26,006	9,990	–	35,996	66,123
	आयकर वापसी पर ब्याज	–	–	–	–	9,347
	विविध आय	–	–	–	–	21,307
	कमी बेसी	–	–	–	–	4,193
	योग	26,006	9,990	–	35,996	1,00,970
6	अनुसूची 6–व्यावसायिक फीस एवं वेतन					
	एनएचएसआरसी कार्यालय	2,35,38,561	–	–	2,35,38,561	2,13,68,997
	आरआरसी एनई कार्यालय	–	1,71,31,405	–	1,71,31,405	1,48,26,953
	योग	2,35,38,561	1,71,31,405	–	4,06,69,966	3,61,95,950
7	अनुसूची 7–अन्य प्रशासनिक खर्च					
	किराया खर्च	2,32,23,726	13,84,815	–	2,46,08,541	2,20,40,431
	जनरेटर किराया, ईंधन, बिजली और पानी	98,34,075	5,95,170	–	1,04,29,245	32,32,694
	भवन एवं अन्य ढांचागत सुविधाओं का रखरखाव	16,05,355	1,72,962	–	17,78,317	24,90,578
	सुरक्षा सेवाएं	16,98,724	6,00,354	–	22,99,078	24,29,140
	लेखा परीक्षा फीस	1,47,500	70,800	–	2,18,300	2,18,300
	बैंक प्रभार	4,960	–	–	4,960	9,226
	कंप्यूटर उपभोज्य वस्तुएं	1,82,092	34,000	–	2,16,092	2,74,069
	भाड़ा और माल ढुलाई	–	–	–	–	10,104
	बीमा	1,49,147	–	–	1,49,147	1,69,269
	टीडीएस पर ब्याज	–	–	–	–	112
	पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	8,942	–	–	8,942	83,570
	बैठकें/कार्यशाला/सम्मेलन	6,79,558	–	–	6,79,558	17,61,349
	व्यावसायिक फीस एवं अन्य प्रशासनिक खर्चे	47,80,721	3,35,163	–	51,15,884	30,98,085
	कार्यस्थल विस्तार कार्यों पर व्यय	–	–	–	–	19,37,765
	भर्ती एव विज्ञापन पर खर्च	13,16,586	10,480	–	13,27,066	19,62,854
	स्टेशनरी/प्रिंटिंग/जीरॉक्स पर खर्च	9,59,103	1,99,532	–	11,58,635	16,88,275
	अध्ययन एवं मूल्यांकन (प्रशासन)	5,000	–	–	5,000	5,13,280
	टेलिफोन/फैक्स/डाक खर्च/इंटरनेट/लीज लाइन	16,87,531	6,03230	–	22,90,761	24,98,719
	यात्रा पर व्यय	7,62,735	14,21,270	–	21,84,005	21,33,727

	स्थानीय परिवहन	12,60,499	–	–	12,60,499	7,43,795
	वाहन का रखरखाव और ईंधन	1,30,497		–	1,30,497	1,02,616
	जलपान खर्च	–	1,03,681	–	1,03,681	–
	आउटसोर्सिंग प्रशा.	32,75,652	–	–	32,75,652	6,41,651
	योग	5,17,12,403	55,31,457	–	5,72,43,859	4,80,39,609

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली– 110067

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आय–व्यय की अनुसूचियां

राशि रूपए में

क्र. सं.	विवरण	एनएचएसआरसी	आरआरसी–एनई	एनएचएसआरसी बिहार	चालू वर्ष 31/03/2021 की स्थिति	गत वर्ष 31/03/2020 की स्थिति
8	अनुसूची 8–कार्यक्रम संबंधी खर्च					
	सामुदायिक प्रक्रियाएं	3,33,40,018	8,99,432	–	3,42,39,450	4,74,90,203
	जन स्वास्थ्य नियोजन	6,32,642	96,683	–	7,29,325	98,57,944
	जन स्वास्थ्य प्रशासन	1,81,88,132	–	–	1,81,88,132	2,31,54,122
	स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का वित्तपोषण	65,90,430	–	–	65,90,430	26,55,117
	स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रौद्योगिकी	62,54,764	2,63,596	–	65,18,360	1,11,57,329
	स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानव संसाधन	1,00,56,350	–	–	1,00,56,350	1,22,35,802
	गुणवत्ता सुधार	3,13,05,165	3,78,936	–	3,16,84,101	3,59,96,754
	ज्ञान प्रबंध प्रभाग	1,56,77,360	–	–	1,56,77,360	–
	एनपीएमयू एवं अन्य	16,92,02,767	–	–	16,92,02,767	15,93,27,499
	योग	29,12,47,628	16,38,647	–	29,28,86,275	30,18,74,771
9	अनुसूची 9–मूल्यह्रास					
	चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रास	23,95,621	4,04,574	5,466	28,05,661	26,24,033
	योग	23,95,621	4,04,574	5,466	28,05,661	26,24,033

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली– 110067

अनुसूची 10: 31 मार्च, 2021 तक के तुलन पत्र का एक भाग–लेखा एवं लेखाकरण नीतियों पर टिप्पणियां

क. एनएचएसआरसी, लेखाकरण की नकदी प्रणाली का पालन करता है और प्राप्ति आधार पर आय एवं व्यय को मान्यता प्रदान करता है।

ख. शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) की आकस्मिक देयताओं को उपलब्ध नहीं कराया गया है, सिवाय उनके जो लेखाकरण की उपार्जन प्रणाली के तहत सामान्यतः देय हैं।

ग. एनएचएसआरसी का किसी शेयर और बांड आदि में निवेश नहीं है।

घ. एनएचएसआरसी की लेखाकरण नीति के अनुसार, राजस्व अनुदान के लेखा को नियत अवधि के दौरान उपभोग की जाने वाली सुसंगत लागतों के सापेक्ष परंपरागत तरीके से आय एवं व्यय खाते में दर्शाया गया है। सहायक अनुदान की उपभोग नहीं की गई राशि को देयता माना गया है, क्योंकि उसे सरकार की अगली सहायक अनुदानों से समायोजित किया जाता है।

ड. अनुसूची 6 में आरआरसी–एनई के लिए व्यावसायिक फीस और वेतन शीर्ष के तहत दर्शाए गए व्यय के तहत प्रमुख/प्रशासनिक स्टाफ के वेतन और तकनीकी परामर्शदाताओं की व्यावसायिक फीस शामिल है। जबकि एनएचएसआरसी के मामले में तकनीकी परामर्शदाताओं की व्यावसायिक फीस को संबंधित प्रभागों/कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के तहत अनुसूची 8 में दर्शाया गया है।

च. आयकर अधिनियम की धारा 11(6) के अनुसार, परसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण में किए गए पूंजीगत व्यय का किसी भाग को किसी भी पूर्व वर्ष में आय का उपयोग नहीं माना गया है, अतः आयकर अधिनियम के तहत विनिर्दिरूट दरों पर की गई मूल्यह्रास की गणना को आय का उपयोग माना गया है।

छ. यह सोसायटी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए के तहत पंजीकृत है, अतः इसकी आय को अधिनियम में विहित शर्तों को पूर्ण करने के अध्यधीन कर भुगतान से छूट प्राप्त है। चूंकि सोसायटी की आय को कर से छूट प्राप्त है, अतः इन खाता–बहियों में कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, न ही इसे आकस्मिक देयता बताया गया है।

ज. जहां भी आवश्यक प्रतीत हुआ है गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित/पुनःसमूहित कर दिया गया है ताकि वे चालू वर्ष की प्रस्तुति के समनुरूप हो सकें। जहां भी आवश्यक प्रतीत हुआ है आरआरसी एनई के परीक्षित व्यय को पुनःव्यवस्थित/पुनःसमूहित कर दिया गया है, ताकि उसे एनएचएसआरसी, नई दिल्ली के समनुरूप बनाया जा सके।

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली– 110067

अनुसूची 11 : 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र के भाग में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का विवरण।

क) संक्षिप्त परिचयः

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 का 21 के तहत दिनांक 08/12/2006 की पंजीकरण संख्या एस 57304 द्वारा पंजीकृत है। सोसायटी को शासित करने वाले नियम एवं विनियम मुख्यतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शासित होते हैं।

इस सोसायटी का उद्देश्य, लाभ न कमाने वाले संगठन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के ढांचे के अधीन, किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के बिना, भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र को रणनीतिक आयोजना एवं विकास उपलब्ध कराना है।

यह सोसायटी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत दिनांक 16/11/2011 के आदेश पंजीकरण संख्या डेल–एनआर 21679–16112011 द्वारा धर्मार्थ न्यास के रूप में पंजीकृत है।

ख) लेखाकरण नीति :

कार्यक्रम की निधियों और वित्तीय प्रतिवेदन की लेखाबद्ध करने की विधियों में समरूपता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित लेखाकरण नीतियां लागू होंगी। आवधिक वित्तीय प्रतिवेदन और वार्षिक वित्तीय विवरण इन लेखाकरण नीतियों के अनुरूप होंगे।

ये वित्तीय विवरण, आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानदंडों के साथ–साथ जारी प्रथा और सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों और भारतीय सोसायटी अधिनियम, 1860 के उपबंधों के समनुरूप नकदी प्रणाली द्वारा अपनाई जाने वाली लेखाकरण प्रणाली के आधार पर एनएचएसआर सेन्टर द्वारा निरंतर अपनाई गई ऐतिहासिक लागत परंपराओं के तहत तैयार किए गए हैं।

एनएचएसआरसी को भारत सरकार के लेखाकरण सिद्धांतों का पालन करना होता है, जो वर्तमान में नकदी आधार पर है। सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियमों 228 से 245 के तहत एनएचएसआरसी के कार्यक्रम के लिए सहायक अनुदान के लिए प्रक्रिया और औपचारिकताएं, स्वीकृत व्यय के समनुरूप केंद्र की वित्तीय अवधि के वार्षिक बजट के लिए नियमित प्रकृति की हैं, परियोजना के लेखाकरण एवं सभी विकास भागीदारों को रिपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित नीति को अपनाया जाएगा।

ग) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर रिटेन डाउन वैल्यू के रूप में दर्शाया गया है। नियत परिसंपत्तियों को उस दिन पूंजीगत माना जाता है, जब परिसंपत्ति को संस्थापित या उपयोग के लिए चालू किया जाता है।

पूंजीकरण के उद्देश्य से किन्हीं विशिष्ट परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर होने वाले सभी प्रत्यक्ष व्ययों को लागत का भाग माना जाता है। इसके अलावा, सभी अप्रत्यक्ष व्यय, जहां संभव हो, और नियत परिसंपत्तियों से संबंध योग्य हों, को विभिन्न परिसंपत्तियों की सकल प्रत्यक्ष पूंजीगत लागत के अनुरूप विभाजित किया जाता है।

घ) मूल्यह्रास

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास लगाया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सुझावों के अलावा गणना की विधि भी आयकर अधिनियम, 1961 के अनुरूप है; जब तक परिसंपत्ति कार्यरत है, उसकी सकल लागत के 90% तक मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ड.) सहायक अनुदान

सरकार/सरकारी विभागों से सहायक अनुदान, राजस्व व्यय की पूर्ति के लिए प्राप्त होते हैं और उन्हें आय और व्यय खाते में उपयोग किए जाने वाले राजस्व को संबंधित लागतों से मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि के दौरान सुव्यवस्थित तरीके से लेखाबद्ध किया जाता है। ऐसे अनुदान को आय शीर्ष के तहत अलग से सहायक अनुदान के रूप में और तुलन पत्र में अनुदान एवं उपयोग के लिए शेष के तहत दर्शाया गया है।

नियत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए अनुदान को परिसंपत्तियों की खरीद के रूप में दर्शाते हुए लेखाबद्ध किया गया है और ऐसे व्यय को उपयोगिता प्रमाण पत्र में कुल वार्षिक व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

च) वस्तु के रूप में सहायक अनुदान

विभिन्न संस्थाओं/विकास भागीदारों या अधिकरण से वस्तुओं के रूप में प्राप्त सहायक अनुदान को सांकेतिक मान, नियत परिसंपत्तियों के रूप में लेखाबद्ध किया गया है, और नियत परिसंपत्ति रजिस्टर के रूप में उन पर भौतिक नियंत्रण किया जाता है।

इस तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते टीएएस एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 010520एन

कृते नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
(शासी निकाय की ओर से)

प्रधान प्रशासनिक अधिकारी

कार्यकारी निदेशक

मुकेश अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता नं. 090582

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28/08/2021
यूडीआईएनः 21090582एएएएयू8204

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

जीएफआर 12–ए
[नियम 238 (1) देखें]

(लेखा–परीक्षित)

अनुदानकारी संगठन के स्वायत्त शासी निकायों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र का फार्म

आवर्ती/गैर–आवर्ती सहायक अनुदान/वेतन/पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण से संबंधित वित्त वर्ष 2020–21 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र

1. स्कीम का नाम : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
2. अनुदान आवर्ती है या गैर–आवर्तीः आवर्ती
3. वित्त वर्ष के आरंभ में अनुदान की स्थिति :
   (i) पास/बैंक में नकदी : 12,18,01,166.95
   (ii) गैर–समायोजित अग्रिम : शून्य
   (iii) कुल : 12,18,01,166.95
4. प्राप्त अनुदान, हुए व्यय और इतिशेष का विवरण : (वास्तविक)

उपर्युक्त (iii) में उल्लिखित वर्ष में प्राप्त अनुदान का बकाया शेष	इस पर अर्जित ब्याज (अन्य प्राप्तियों सहित)	सरकार को वापस जमा ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध फंड (1+2+3+4)	व्यय	इति शेष (5–6)
1	2	3	4			5	6	7
			स्वीकृति ज्ञापन सं.	तिथि (ii)	राशि (iii)			
12,18,01,166.96	66,95,644.00	शून्य (नोट देंखें)	एनएचएसआरसी/2017–18/बजट/प्रशा./01/ पीएफ–3	01.07.2020	25,94,00,000	63,78,96,810.96	39,51,72,018.43	24,27,24,792.53
			एनएचएसआरसी/2017–18/बजट/प्रशा./01/पीएफ–3	01.10.2020	25,00,00,000			

घटकवार अनुदान का उपयोग :

सहायक अनुदान–सामान्य	सहायक अनुदान–वेतन	सहायक अनुदान–पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	योग
39,51,72,018.43	–	–	39,51,72,018.43

वित्त वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति :

(i) पास/बैंक में नकदी : 24,27,24,792.53

(ii) गैर–समायोजित अग्रिम :

कुल : 24,27,24,792.53

फार्म जीएफआर 12–ए

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायक अनुदान स्वीकृत की गई थी, उन्हें विधिवत् पूरा किया गया है/किया जा रहा है, और मैंने यह देखने के लिए कि धनराशि का वास्तव में उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था, निम्नलिखित जांच की है:

(i) मुख्य खाता बही और अन्य सहायक खाता–बहियों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) का रख रखाव सुसंगत अधिनियमों/नियमों/स्थायी निर्देशों (अधिनियमों/नियमों का उल्लेख करें) में विनिर्धारित तरीके से किया गया है और माननीय लेखा–परीक्षकों द्वारा उनकी लेखा–परीक्षा की गई है। दर्शाए गए उपर्युक्त आंकड़े, वित्तीय विवरणी/खाते में उल्लिखित लेखा–परीक्षित आंकड़ों से मेल खाते हैं।

(ii) सार्वजनिक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वित्तीय आदानों के सापेक्ष भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों पर नज़र रखने, आस्ति निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने इत्यादि के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में, ऐसा कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है, जो सुसंगत अधिनियमों/नियमों/स्थायी निर्देशों और स्कीम के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन हो।

(iv) स्कीम के पदाधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में स्कीम के निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वह सामान्य प्रकृति की नहीं हैं।

(v) इच्छित लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाए गए थे और केवल उन्हीं क्षेत्रों/जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, जहां स्कीम का संचालन किया जाना वांछित था।

(vi) स्कीम के विभिन्न घटकों पर व्यय, स्कीम के दिशानिर्देशों और सहायक अनुदान की शर्तों के अनुसार प्राधिकृत अनुपात में था।

(vii) यह सुनिश्चित किया गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्कीम का नाम) के तहत भौतिक और वित्तीय निष्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप रहा है जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों में निर्धारित किया गया है, और विचाराधीन वर्ष के लिए निष्पादन/प्राप्त लक्ष्य का विवरण, परिशिष्ट–। के दिए गए परिणामों के लिए निधि का उपयोग हुआ है, विधिवत् संलग्न है।

फार्म जीएफआर 12–ए

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

(viii) परिशिष्ट–।। में दिए गए परिणामों के लिए निधि का उपयोग विधिवत् संलग्न है (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपनी आवश्यकता/विशिष्टताओं के अनुसार तैयार किया जाए)।

एजेंसी द्वारा एक ही मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायक अनुदानों से निष्पादित विभिन्न स्कीमों का विवरण परिशिष्ट–।। के रूप में संलग्न है (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपनी आवश्यकता/विशिष्टताओं के अनुसार तैयार किया जाए)।

हस्ताक्षरः
नाम : ....
मुख्य वित्त अधिकारी
(वित्त प्रमुख)

हस्ताक्षरः
नाम : ....
संगठन प्रमुख

कृते टीएएस एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 010520एन

मुकेश अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता नं. 090582

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28/08/2021
यूडीआईएनः 21090582एएएएयू8204

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

जीएफआर 12–ए
[नियम 238 (1) देखें]

(लेखा–परीक्षित)

अनुदानकारी संगठन के स्वायत्त शासी निकायों के लिए
उपयोगिता प्रमाण पत्र का फार्म

आवर्ती/गैर–आवर्ती सहायक अनुदान/वेतन/पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण से संबंधित
वित्त वर्ष 2020–21 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र

1. स्कीम का नाम : स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर)
2. अनुदान आवर्ती है या गैर–आवर्तीः गैर–आवर्ती
3. वित्त वर्ष के आरंभमें अनुदान की स्थिति :
   (i) पास/बैंक में नकदी : 8,80,617
   (ii) गैर–समायोजित अग्रिम : शून्य
   (iii) कुल : 8,80,617
4. प्राप्त अनुदान, हुए व्यय और इतिशेष का विवरण : (वास्तविक)

उपर्युक्त (iii) में उल्लिखित वर्ष में प्राप्त अनुदान का बकाया शेष	इस पर अर्जित ब्याज (अन्य प्राप्तियों सहित)	सरकार को वापस जमा ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध फंड (1+2+3+4)	व्यय	इति शेष (5–6)
1	2	3	4			5	6	7
			स्वीकृति ज्ञापन सं.	तिथि (ii)	राशि (iii)			
8,80,617	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	8,80,617	शून्य	8,80,617

घटकवार अनुदान का उपयोग :

सहायक अनुदान–सामान्य	सहायक अनुदान–वेतन	सहायक अनुदान–पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	योग

वित्त वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति :
   (i) पास/बैंक में नकदी : 8,80,617
   (ii) गैर–समायोजित अग्रिम :
   (iii) कुल : 8,80,617

फार्म जीएफआर 12–ए

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायक अनुदान स्वीकृत की गई थी, उन्हें विधिवत् पूरा किया गया है/किया जा रहा है, और मैंने यह देखने के लिए कि धनराशि का वास्तव में उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था, निम्नलिखित जांच की हैः

(i) मुख्य खाता बही और अन्य सहायक खाता–बहियों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) का रख रखाव सुसंगत अधिनियमों/नियमों/स्थायी निर्देशों (अधिनियमों/नियमों का उल्लेख करें) में विनिर्धारित तरीके से किया गया है और माननीय लेखा–परीक्षकों द्वारा उनकी लेखा–परीक्षा की गई है। दर्शाए गए उपर्युक्त आंकड़े, वित्तीय विवरणी/खाते में उल्लिखित लेखा–परीक्षित आंकड़ों से मेल खाते हैं।

(ii) सार्वजिनक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वित्तीय आदानों के सापेक्ष भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों पर नज़र रखने, आस्ति निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने इत्यादि के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में, ऐसा कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है, जो सुसंगत अधिनियमों/नियमों/स्थायी निर्देशों और स्कीम के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन हो।

(iv) स्कीम के पदाधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में स्कीम के निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वह सामान्य प्रकृति की नहीं हैं।

(v) इच्छित लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाए गए थे और केवल उन्हीं क्षेत्रों/जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, जहां स्कीम का संचालन किया जाना वांछित था।

(vi) स्कीम के विभिन्न घटकों पर व्यय, स्कीम के दिशानिर्देशों और सहायक अनुदान की शर्तों के अनुसार प्राधिकृत अनुपात में था।

(vii) यह सुनिश्चित किया गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्कीम का नाम) के तहत भौतिक और वित्तीय निष्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप रहा है जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों में निर्धारित किया गया है, और विचाराधीन वर्ष के लिए निष्पादन/प्राप्त लक्ष्य का विवरण, परिशिष्ट–। के दिए गए परिणामों के लिए निधि का उपयोग हुआ है, विधिवत् संलग्न है।

फार्म जीएफआर 12–ए

(viii) परिशिष्ट–।। में दिए गए परिणामों के लिए निधि का उपयोग विधिवत् संलग्न है (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपनी आवश्यकता/विशिष्टताओं के अनुसार तैयार किया जाए)।

एजेंसी द्वारा एक ही मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायक अनुदानों से निष्पादित विभिन्न स्कीमों का विवरण परिशिष्ट–।। के रूप में संलग्न है (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपनी आवश्यकता/विशिष्टताओं के अनुसार तैयार किया जाए)।

हस्ताक्षरः	हस्ताक्षरः
नाम :	नाम : ....
मुख्य वित्त अधिकारी	संगठन प्रमुख
(वित्त प्रमुख)	

कृते टीएएस एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 010520एन

मुकेश अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता नं. 090582

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28/08/2021
यूडीआईएनः 21090582एएएएयू8204

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

जीएफआर 12–ए

[नियम 238 (1) देखें]

(लेखा–परीक्षित)

अनुदानकारी संगठन के स्वायत्त शासी निकायों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र का फार्म

आवर्ती/गैर–आवर्ती सहायक अनुदान/वेतन/पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण से संबंधित वित्त वर्ष 2020–21 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र

1. स्कीम का नाम : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
2. अनुदान आवर्ती है या गैर–आवर्तीः आवर्ती
3. वित्त वर्ष के आरंभ में अनुदान की स्थिति :
   (i) पास/बैंक में नकदी : 1,11,40,290
   (ii) गैर–समायोजित अग्रिम : शून्य
   (iii) कुल : 1,11,40,290
4. प्राप्त अनुदान, हुए व्यय और इतिशेष का विवरण : (वास्तविक)

उपर्युक्त (iii) में उल्लिखित वर्ष में प्राप्त अनुदान का बकाया शेष	इस पर अर्जित व्याज (अन्य प्राप्तियों सहित)	सरकार को वापस जमा ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध फंड (1+2+3+4)	व्यय	इति शेष (5–6)
1	2	3	4			5	6	7
			स्वीकृति ज्ञापन सं.	तिथि (ii)	राशि (iii)			
1,11,40,290	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1,11,40,290	26,55,145	84,85,145

घटकवार अनुदान का उपयोग :

सहायक अनुदान–सामान्य	सहायक अनुदान–वेतन	सहायक अनुदान–पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	योग
26,55,145	0	0	26,55,145

वित्त वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति :
(i) पास/बैंक में नकदी : 84,85,145
(ii) गैर–समायोजित अग्रिम :
(iii) कुल : 84,85,145

फार्म जीएफआर 12–ए

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायक अनुदान स्वीकृत की गई थी, उन्हें विधिवत् पूरा किया गया है/किया जा रहा है, और मैंने यह देखने के लिए कि धनराशि का वास्तव में उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था, निम्नलिखित जांच की हैः

(i) मुख्य खाता बही और अन्य सहायक खाता–बहियों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) का रख रखाव सुसंगत अधिनियमों/नियमों/स्थायी निर्देशों (अधिनियमों/नियमों का उल्लेख करें) में विनिर्धारित तरीके से किया गया है और माननीय लेखा–परीक्षकों द्वारा उनकी लेखा–परीक्षा की गई है। दर्शाए गए उपर्युक्त आंकड़े, वित्तीय विवरणी/खाते में उल्लिखित लेखा–परीक्षित आंकड़ों से मेल खाते हैं।

(ii) सार्वजिनक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वित्तीय आदानों के सापेक्ष भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों पर नज़र रखने, आस्ति निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने इत्यादि के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में, ऐसा कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है, जो सुसंगत अधिनियमों/नियमों/स्थायी निर्देशों और स्कीम के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन हो।

(iv) स्कीम के पदाधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में स्कीम के निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वह सामान्य प्रकृति की नहीं हैं।

(v) इच्छित लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाए गए थे और केवल उन्हीं क्षेत्रों/जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, जहां स्कीम का संचालन किया जाना वांछित था।

(vi) स्कीम के विभिन्न घटकों पर व्यय, स्कीम के दिशानिर्देशों और सहायक अनुदान की शर्तों के अनुसार प्राधिकृत अनुपात में था।

(vii) यह सुनिश्चित किया गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्कीम का नाम) के तहत भौतिक और वित्तीय निष्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप रहा है जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों में निर्धारित किया गया है, और विचाराधीन वर्ष के लिए निष्पादन/प्राप्त लक्ष्य का विवरण, परिशिष्ट–। के दिए गए परिणामों के लिए निधि का उपयोग हुआ है, विधिवत् संलग्न है।

फार्म जीएफआर 12–ए

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

(viii) परिशिष्ट–।। में दिए गए परिणामों के लिए निधि का उपयोग विधिवत् संलग्न है (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपनी आवश्यकता/विशिष्टताओं के अनुसार तैयार किया जाए)।

एजेंसी द्वारा एक ही मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायक अनुदानों से निष्पादित विभिन्न स्कीमों का विवरण परिशिष्ट–।। के रूप में संलग्न है (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपनी आवश्यकता/विशिष्टताओं के अनुसार तैयार किया जाए)।

हस्ताक्षरः
नाम : ....
मुख्य वित्त अधिकारी
(वित्त प्रमुख)

हस्ताक्षरः
नाम : ....
संगठन प्रमुख

कृते टीएएस एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 010520एन

मुकेश अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता नं. 090582

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28/08/2021
यूडीआईएनः 21090582एएएएयू8204